<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 16/2016

1 झाबर पुत्र गोपीराम।
2 गुलाब पुत्र गोपीराम।
3 मूलाराम पुत्र हीराराम।
4 गोगाराम पुत्र हीराराम।
5 बाबुलाल पुत्र मालाराम।
6 मोतीराम पुत्र मालाराम।
7 बनारसी देवी पत्नी मालाराम समस्त जाति माली निवासीगण नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती मणी देवी पत्नी प्रभूदयाल पुत्री मांगुराम जाति माली निवासी छापोली तहसील उदयपुरवार्टी जिला झुंझुनू।
2 श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी ईशरराम।
3 महावीर प्रसाद पुत्र ईशराम समस्त जाति माली निवासीगण उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 मंगलचन्द पुत्र नाथूराम।
5 औंकार पुत्र नाथूराम।
6 भगवाना पुत्र दुदाराम।
7 मदन पुत्र चौथूराम।
8 लक्खी प्रसाद पुत्र चौथूराम।
9 सुल्तान पुत्र चौथूराम।
10 मूली देवी पत्नी चौथूराम।
11 परमेश्वरी पुत्री चौथूराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 आंची देवी पत्नी बद्रीप्रसाद।
13 रामप्रताप पुत्र बद्रीप्रसाद।
14 लक्ष्मण पुत्र बद्रीप्रसाद।
15 हरीराम पुत्र बद्रीप्रसाद।
16 माया देवी पत्नी राधेश्याम।
17 लच्छी देवी पत्नी गुल्लाराम।
18 होताराम उर्फ हरीराम पुत्र गोपीराम समस्त जाति माली निवासीगण नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
19 श्योपाल देवी पुत्री हरजीराम पत्नी नत्थूराम जाति माली निवासी ढ़ाणी धन्धरावली तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
20 मनकोरी देवी पुत्री हरजीराम।
21 औंकार पुत्र श्रीमती जिनकू देवी व श्री हनुमान दोहिता हरजीराम जाति माली निवासी गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
22 धोली देवी पुत्री मालाराम पत्नी राधेश्याम जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
23 कौशल्या देवी पुत्री मालाराम पत्नी बनवारी जाति माली निवासी नाण तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
24 सोहनी देवी पुत्री मालाराम पत्नी दुर्गाराम जाति माली निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
25 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.02.2016
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा
नम्बर 52/2011 शीर्षक झाबर वगैरह बनाम
मणी देवी वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2011 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 908,928,929,930,932,935,909,938,941, 909/3222,3296/926,3300/934 वाके कुआ डेडा वाली एवं खसरा नम्बर 8,9,10,48,49,62,63,64 वाके ग्राम नांगल बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार हरजीराम के 7 वारिस है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागु होने के बाद हरजीराम की मृत्यु हुई है। इस अनुसार सभी वारिसान का 1/7,1/7 हिस्सा होता है। पूर्व में प्राथमिक डिक्री के विरूद्व माननीय मण्डल तक निर्णय पारित किये जा चुके है। प्रस्तुत प्रकरण में पारित अन्तिम डिक्री की अपील लम्बित है। प्राथमिक डिक्री में मांगू व गोपाल का कोई कब्जा नही बताया गया है। मूल दावे में पक्षकारों के हक हकुक निर्धारित होने शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

इन तथ्यों पर गौर नही कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के सन्दर्भ में पूर्व में विभाजन का वाद संख्या 555/2002 चला था जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2003 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। इस निर्णय के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 07.04.2007 को खारिज की गई। इसके विरूद्व अपीलांट की और से माननीय मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 19.01.2011 को खारिज की जा चुकी है। विचारण न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के आदेश को माननीय मण्डल तक यथावत रखा गया है। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चारा जोही नही की गई है। अपीलांट द्वारा पृथक से नया वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि द्वारा वर्जित होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2007(2) पेज 761, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 178 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के सन्दर्भ में पूर्व में विभाजन का वाद संख्या 555/2002 चला था जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2003 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। इस निर्णय के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 07.04.2007 को खारिज की गई। इसके विरूद्व अपीलांट की और से माननीय मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 19.01.2011 को खारिज की जा चुकी है। विचारण न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के आदेश को माननीय मण्डल तक यथावत रखा गया है। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चारा जोही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

नही की गई है। अपीलांट द्वारा पृथक से नया वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि द्वारा वर्जित होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर